



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2014/ ज्येष्ठ 26, 1936

No. 322]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2014/JYAISTHA 26, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2014

सा. का. नि. 407(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सूचना आयोग (समूह 'क' और समूह 'ख') भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सूचना आयोग (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केंद्रीय सूचना आयोग (समूह 'क' और समूह 'ख') भर्ती नियम, 2012 की अनुसूची में, स्तंभ (11) में "सहायक" पद से संबंधित प्रविष्टियों के सामने, प्रतिनियुक्ति "शीर्ष" के अधीन, खंड (क) के उप-खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—  
“(ii) जिन्होंने मूलकांडर या विभाग में वेतन बैंड 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400/- रु या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो; और”

[फा. सं. 4/9/2011-आई.आर.]

अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 76, तारीख 16 अप्रैल, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।